प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद भारती
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चित्रकूट।

द्वारा,

आदरणीय जनपद न्यायाधीश,
चित्रकूट।

सेवा में,

आदरणीय महानिबंधक
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।

महोदय,

ससम्मान विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी राजेन्द्र प्रसाद भारती, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्रकूट के पद पर कार्यरत है। पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित होने हेतु राज्य सरकार के शासनादेश सं0-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून 2024 एवं शासनादेश सं0-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024, दिनांकित 11 जुलाई, 2024 के क्रम में पुरानी पेंशन का चयन करने हेतु विकल्प प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने की व्यवस्था की गई है। प्रार्थी की नियुक्ति लोक सेवा आयोग उ.प्र. द्वारा सिविल जज (जू.डि.) के पद हेतु निर्गत विज्ञापन सं0-ए-2/ई-1/2003 दिनांकित 22 नवम्बर,2003 के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के नोटिफिकेशन सं0-1248/DR(S) 2006, दिनांकित 13.06.2006 के द्वारा हुई थी। प्रार्थी के द्वारा दिनांक 14.06.2006 को जनपद न्यायालय महाराजगंज में सिविल जज(जू0 डि0) के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया था। शासनादेश दिनांकित 11 जुलाई, 2024 में संलग्न निर्धारित विकल्प-पत्र व घोषणा-पत्र तैयार कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः माननीय महोदय से करबद्ध प्रार्थना है कि प्रार्थी को पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत प्रस्तुत विकल्प को स्वीकार करते हुए पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित करते हुए शासन को प्रेषित करने की कृपा करें। माननीय महोदय की महति कृपा होगी।

दिनांक-15.07.2024

भवदीय
15.7.24
(राजेन्द्र प्रसाद भारती)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चित्रकूट।
J.O. Code-UP6469

संलग्नक-

1- शासनादेश दिनांकित 11 जुलाई, 2024 की छायाप्रति।
2-विकल्प-पत्र मय घोषणा पत्र की मूलप्रति।
3- विज्ञापन की छायाप्रति।

Office of the District Judge, Chitrakoot
No 1326/7/Admin. Sec./District Judge/Chitrakoot 18-7-24
Forwarded

Vikas Kumar
District Judge 18/7/24
Chitrakoot

संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 11 जुलाई, 2024

विषय- शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के क्रम में विकल्प दिये जाने हेतु प्रारूप ।

महोदय,

शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे कार्मिकों, जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

2- संदर्भित शासनादेश दिनांक 28 जून, 2024 की व्यवस्था के क्रम में कार्मिकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुने जाने का प्रारूप इस शासनादेश के साथ संलग्न है।

2/-

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उक्त निर्धारित प्रारूप पर संबंधित कार्मिक अपना विकल्प सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-20/2024/सा-3-276(1)/दस-2024/301(1)/2024 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1). महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(2). निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(3). निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(4). समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
संजय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>शासनादेश संख्या-</u> 20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 का संलग्नक-

विकल्प पत्र

1. नाम राजेन्द्र प्रसाद भारती
2. वर्तमान पदनाम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चित्रकूट
3. वेतनमान 111000-163030, Basic Pay- 77840/
4. वर्तमान विभाग का नाम न्याय विभाग, उ०प्र०
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम लोक सेवा आयोग, उ०प्र०
6. विज्ञप्ति की तिथि ए-2/ई-1/2003 दिनांक- 22 नवम्बर 2003
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि Hon'ble High court Notification dated June -13, 2006
8. योगदान की तिथि 14 जून, 2006
9. जन्म तिथि 01-07-1975
10. सेवानिवृत्ति की तिथि 30-06-2035

मैं राजेन्द्र प्रसाद भारती पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री श्यामलाल शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना (✓)/~~नवीन पेंशन योजना~~ (X) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

हस्ताक्षर RPrasad 15.7.24
नाम राजेन्द्र प्रसाद भारती
पदनाम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्रकूट

घोषणा पत्र

मैं राजेन्द्र प्रसाद भारती पदनाम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर RPrasad 15.7.24
नाम राजेन्द्र प्रसाद भारती
पदनाम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

<u>सम्बन्धित कर्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा</u>

श्री/श्रीमती राजेन्द्र प्रसाद भारती पदनाम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (✓) /~~नई पेंशन योजना~~ (X) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

[signature]
District Judge
Chitrakoot
कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

लोक सेवा आयोग, उ0प्र0

विज्ञापन संख्या-
ए-2/ई-1/2003

उ.प्र. न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रारम्भिक परीक्षा, 2003

संक्षिप्त विज्ञापन

1. **इस परीक्षा का** विस्तृत विज्ञापन **दिनांक 22 नवम्बर, 2003 को प्रकाशित होने वाले '<u>इम्प्लायमेन्ट न्यूज/रोजगार समाचार</u>'** में देखा जा सकता है, जिसमें शुल्क की प्रक्रिया, आवेदन करने की प्रक्रिया, प्रारम्भिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा का विषय एवं पाठ्यक्रम, साक्षात्कार के सम्बन्ध में सूचना, परीक्षा केन्द्रों/जिलों का नाम, डाकघरों की सूची (जहाँ से आवेदन पत्र प्राप्त किये जा सकते हैं), आरक्षण एवं आयु में छूट के सम्बन्ध में निर्धारित प्ररूप तथा महत्वपूर्ण निर्देश आदि उपलब्ध रहेंगे।

2. यह विज्ञापन आयोग के वेब-साइट **http : //uppsc.nic.in** पर भी उपलब्ध रहेगा।

3. अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन देखने एवं अर्ह होने की स्थिति में ही आवेदन करें।

1. **पद का नाम :** उ. प्र. न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन)
2. **रिक्तियों की कुल संख्या : 347**, जिसमें विभिन्न आरक्षण शामिल हैं और यह विस्तृत विज्ञापन में देखा जा सकता है।
3. **वेतनमान : रु. 9000-14550/-**
4. **शैक्षिक अर्हता :** (क) विधि स्नातक; अथवा (ख) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अधीन नामांकित कोई अधिवक्ता या इंग्लैण्ड या नार्दन आयरलैण्ड का कोई बैरिस्टर या स्काटलैण्ड में अधिवक्ताओं के संकाय का कोई सदस्य जिसे न्यायालय या उसके अधीनस्थ न्यायालय में व्यवसाय करने का हकदार होना आवश्यक है। (ग) देवनागरी लिपि में हिन्दी का अच्छा ज्ञान आवश्यक है।
5. **आयु सीमा : 01 जुलाई, 2004** को 22 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए तथा 35 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई 1969 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 1982 के बाद का नहीं होना चाहिए, परन्तु उ.प्र. के अनुसूचित जाति, उ.प्र. के अनुसूचित जनजाति एवं उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा पाँच वर्ष अधिक होगी। इसी प्रकार उ.प्र. के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों तथा उ.प्र. के भूतपूर्व सैनिकों हेतु भी आयु सीमा पाँच वर्ष अधिक होगी। उ.प्र. न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2003 के प्रावधान के अनुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01 जुलाई, 2001 एवं 01 जुलाई, 2002 को आयुसीमान्तर्गत थे वे भी इस परीक्षा हेतु पात्र होंगे।

परन्तु किसी अभ्यर्थी को अवसर ग्रहण की अनुमति की संख्या अधिकतम चार होगी। अवसर की गणना इस प्रारम्भिक परीक्षा में सम्मिलित होने से की जायेगी।

शासनादेश सं. - 17/2/1981-कार्मिक-2, दिनांक 28 फरवरी, 1985 के प्राविधानों के अनुसार सेना के आपात कालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित, भूतपूर्व सैनिकों तथा कमीशन प्राप्त उन अधिकारियों को, जिन्होंने सेना में कम से कम पाँच वर्ष की सेवा करली हो, निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिकतम पाँच वर्ष तक की छूट, सेवाकाल को आधार मानकर, दी जायेगी। यह छूट उन सैनिकों/अधिकारियों को भी अनुमन्य होगी जो आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अन्तिम तिथि से छः माह की अवधि में कार्यमुक्त होने वाले हों, परन्तु निम्नलिखित को अनुमन्य नही होगी :- (1) जो कदाचार अथवा अकुशलता के कारण बर्खास्त हुए हों, (2) जो सेना की सेवा में अवगुण समझी जाने वाली शारीरिक अयोग्यता अथवा अशक्तता के कारण सेवा मुक्त हुए हों।

शासनादेश संख्या - 22/21/1983-कार्मिक-2, दिनांक 28.11.1985 के अनुसार राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष अधिक होगी जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं।

6. **आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि : <u>19 दिसम्बर, 2003</u>**
7. **डाकघरों के माध्यम से आवेदन पत्र वितरण की तिथि : <u>22 नवम्बर, 2003</u>**

PSC/2103

सचिव